.... बनाम ....
करणीसिंह शिवचन्द

किस्म मुकदमा ....225........ मु. नं0 .... वर्ष ....2018....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30.5.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आराजी ख0नं0 400 रकबा 1.86 हैक्टर ग्राम हेतमसर में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है ।इस प्रकार अपीलान्ट विवादित आराजी का सहखातेदार दर्ज है ।अदालत मातहत ने मेरा प्रथम दृष्टया मामला मानते हुये दिनांक 1-8-2016 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी । इसी दौरानxx रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश-39 नियम-4 सीपीसी एवं आदेश 7 नियम-11 सीपीसी व धारा-151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। इस प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने आदेश पारित करते हुये आदेश दिनांक 1-8-2016 के आदेश में लम्बी अवधि को मध्य नजर रखते हुये स्थगन की अवधि बढाई जानी न्यायोचित नहीं मानकर उक्त एकपक्षीय आदेश को वेकेट कर दिया ।अदालत मातहत को एकपक्षीय अन्तरिम आदेश को केवल यह कहकर खारिज करना की इस आदेश को लम्बी अवधि के कारण वेकेट किया जाता है यह आदेश विधि संगत आदेश नहीं है।अदालत मातहत को अन्तरिम आदेश के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण अन्तिम रूप से किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने प्रकरण में गुणावगुण पर कोई गौर न कर केवल लम्बी अवधि मानकर आदेश को अपास्त किया है जो विधि के विपरित है ।अतः विद्वान अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जाकर विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की	

पक्षकारों में वजह और अधिक मुकदमे बाजी नहीं बढे।

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपना एकपक्षीय आदेश दिनांक 1-08-2016 को महज लम्बी अवधि का होने के कारण वैकेट किया गया है ।अदालत मातहत का यह कहना कि अन्तरिम आदेश लम्बी अवधि के कारण वैकेट {अमास्त} किया जाता है ।यह आदेश न्यायिक नहीं लम्बी अवधि अपीलान्ट के कारण हुई है तो उसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिये कि अपीलान्ट ने प्रकरण में समय पर की जानी वाली कार्यवाहीयों को पूरा नहीं किया ।अदालत मातहत का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। अतः हम प्रकरण को इसी स्तर पर अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही को पूर्ण कर प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जावे ।

अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर स्वीकार कर अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 9-4-2018 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में की जाने वाली प्रक्रिया को पूर्ण कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय 30 दिवस में करें । तथा उभयपक्ष 30 दिवस तक विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।अपीलान्ट अनावेदक संख्या-1 व 3 के रजिस्टर्ड ए0डी0 एवं साधारण नोटिस अदालत मातहत में तीन दिवस में पेश करें । अपीलान्ट उक्त कार्यवाही की सख्ती से पालना करें । यह आदेश-केवल 30 दिन के लिये ही प्रभावित रहेगा। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 4-6-2018 को उपस्थित होवे ।निर्णय सुनाया गया ।